राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in
Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

क्रमांकः– रा0नि0आ0 / 1एम0ई0 / 2020 / 3578–3587 दिनांकः–03.12.2020

सेवा में

उपायुक्त,
अम्बाला, पंचकूला, सोनीपत, रेवाडी, रोहतक,
हिसार, करनाल, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा

विषयः– **नगर निकाय चुनाव, 2020 – मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विशय के संदर्भ में मुझे आपको यह सुचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके जिले में निम्न नगरनिकायों के आम़ व उप–चुनाव **दिनांक 27.12.2020** को होने निश्चित हुये हैः–

सूची

क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**आम चुनाव**	**उप–चुनाव**
1.	अम्बाला	नगर निगम, अम्बाला	......
2.	पंचकूला	नगर निगम, पंचकूला	......
3.	सोनीपत	नगर निगम, सोनीपत	......
4.	रेवाडी	नगर परिशद, रेवाडी और नगर पालिका धारूहेडा	......
5.	रोहतक	नगर पालिका, सांपला	......
6.	हिसार	नगर पालिका, उकलाना	......
7.	करनाल	......	वार्ड न. 07, नगर पालिका, इन्द्री
8.	फतेहाबाद	......	वार्ड न. 13, नगर पालिका, भूना और वार्ड न. 14 नगर परिषद, फतेहाबाद
9.	कैथल	......	वार्ड न. 12, नगर पालिका, राजौन्द
10.	सिरसा	......	वार्ड न. 29 नगर परिषद, सिरसा

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35 (1) और हरियाणा नगर निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 34 (1) की ओर आकर्शित किया जाता है, इस नियम में दिये गये प्रावधानों अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ जारी हैंड बुक में, मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को आम चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतू आवश्यक निर्देश दिये जाएं तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की सूचीय आपके माध्यम से भेजते हुए आयोग से इस बारे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कृप्या मतदान केन्द्र स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोरोना वायरस से बचाव हेतू जारी की गई हिदायतों अनुसार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से ज्यादा न हो, यदि किसी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 स ज्यादा हो तो उस स्थान पर दो बूथ बना दिये जाये।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहॉ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **[कोई भी मतदान केन्द किसी भी अस्पताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये]।** यदि किसी कारणवष ऐसा किया जाना संम्भव न हो, और किसी प्राईवेट भवन/धर्मशाला में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवष्यक हो, तो उस स्थिति में, उस प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिष्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

Parmal Singh

(परमाल सिहं)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा